संख्या 2088/ब्यूरो-189-75

प्रेषक,

श्री त्रिलोकी नाथ धर,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,
समस्त सार्वजनिक उद्योग,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त करना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग

उपर्युक्त विषयक शासकीय आदेश संख्या 2805/ब्यूरो-1975, दिनांक 24 अक्टूबर, 1975 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई उद्योग किसी अन्य उद्योग में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी की सेवायें प्राप्त करना चाहें, तो इसके लिये उसे संबंधित उद्योग के मुख्य कार्यकारी की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अतएव भविष्य में यदि किसी उद्योग में नियुक्ति हेतु अन्य उद्योगों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र उन्हें सीधे प्राप्त हों तो उन पर विचार न किया जाय। केवल उन्हीं प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाय जो नियमानुसार उचित माध्यम से संबंधित उद्योग के मुख्य कार्यकारी द्वारा अग्रसारित किये गये हैं।

2- उपर्युक्त सिद्धान्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के संबंध में भी लागू होगा।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति से सूचित करें।

भवदीय,
त्रिलोकी नाथ धर,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या 2088(1)/ब्यूरो-188-75, तद्दिनांक

प्रतिलिपि संदर्भित शासकीय आदेश की एक प्रति सहित शासन के समस्त सचिवों/विशेष सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
भक्ति देव मुकर्जी,
उप सचिव (ब्यूरो)।